धनबाद समाहरणालय (पंचायत शाखा) धनबाद

—:अल्पकालीन निविदा:—

आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2010 के निमित्त मतगणना केन्द्र पर अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की छटनी करने हेतु **पीजन हॉल** की आवश्यकता है, साथ ही मतगणना के पश्चात मतपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यकतानुसार 3'x2'x1.5' आकार का स्टील ट्रंक की आवश्यकता है। **पीजन हॉल एवं 3'x2'x1.5' आकार का स्टील ट्रंक** का दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से दर निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदा दाता जिला पंचायत राज पदाधिकारी धनबाद के पक्ष में 100.00(एक सौ)रू0 का Demand Draft जमा कर निविदा शर्त की जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं। इसे www.dhanbad.nic.in वेबसाईट से भी डाउनलोड कर शर्तों की जानकारी ली जा सकती है। परन्तु डाउनलोड किये जाने की स्थिति में 100 रूपये का Demand Draft मुहरबंद निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 15-12-2010 के ~~पूर्वाह्न~~ अपराह्न 3.00 बजे तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहर बंद निविदा दे सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात निविदाएँ स्वीकार नही की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ उसी दिन ~~पूर्वाह्न~~ अपराह्न 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आयोजित जिला कय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत उपस्थित रह सकते हैं।

8/12

उपायुक्त,
—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
धनबाद।

ज्ञापांक 898 दिनांक 8.12.2010

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, धनबाद समाहरणालय, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार www.dhanbad.nic.in वेबसाईट पर अल्पकालीन निविदा शर्त के साथ उपलब्ध कराने की कृपया व्यवस्था की जाय।

8/12

उपायुक्त,
—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
धनबाद।

निविदा की शर्तें:—

1. प्रत्येक निविदाता को अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट/ एन0एस0सी0 जो उपायुक्त, धनबाद के पदनाम से होगा देंगे। जिस निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/ एन0एस0सी0 नहीं होगा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को आयकर रिटर्न संबंधी अद्यतन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
3. वित्त अधिनियम 1981 की धारा 14 के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण—पत्र/ जिला प्रशासन/ राज्य सरकार के अन्तर्गत आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।
4. जिनका दर न्यूनतम होगा उन्हें कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम होने पर उनके बीच समानुपातिक रूप से कार्य का वितरण किया जायेगा। कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित समय पर सम्पूर्ण कार्य करना आवश्यक होगा।
5. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी उनका अग्रधन के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट/ एन0एस0सी0 अविलंब वापस कर दिया जायेगा। जिनकी निविदा स्वीकार की जायेगी उनका अग्रधन कार्य पूर्ण होने तक जमा रखा जाएगा।
6. किसी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
धनबाद।